23

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1539–एक/2007 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–7–2007– पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्र0क0 25/2006–07 पुनरावलोकन

रामकृष्ण तनय चन्द्रशेखर तिवारी
ग्राम जोडोरी तहसील सिरमौर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– बुद्धसेन तनय महावीर विश्वकर्मा
2– चन्द्रशेखर प्रसाद तनयच रामफल तिवारी
3– रामप्रकाश धोबी तनयच फूलाराम धोवी
तीनों ग्राम जोडोरी तहसील सिरमौर
जिला रीवा मध्यप्रदेश
4– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श
(आज दिनांक 1–8–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 25/06–07 पुनरावलोकन में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–7–07 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार सिरमौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 13 अ–19/88–89 में पारित आदेश दिनांक 11–4–1989 के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने

प्रकरण कमांक 388 अ-19/03-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-8-05 से निगरानी स्वीकार कर नायव तहसीलदार सिरमौर का आदेश दिनांक 11-4-1989 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष आवेदक एंव अनावेदक क-2 ने निगरानी प्रस्तुत की । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने पक्षकारों के बीच राजीनामा होने के आधार प्रकरण कमांक 165/04-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-1-07 से राजीनामा स्वीकार कर निगरानी का निराकरण कर दिया।

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा पक्षकारों के बीच राजीनामा होने के आधार आदेश दिनांक 5-1-07 से किय गये निराकरण के विरूद्ध अनावेदक कमांक-1 ने अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया तथा बताया कि राजीनामा गलत है क्योंकि राजीनामा में बुद्धसेन के स्थान पर जिसकी फोटो लगी है वह बुद्धसेन की न होकर अन्य की है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 25/2006-07 पंजीबद्ध करके अंतरिम आदेश दिनांक 30-7-2007 पारित किया तथा पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करते हुये आदेश दिनांक 5-1-07 का कियान्वयन आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया। अपर आयुक्त के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गयां

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष पुनरावलोकन आवेदन कर्ता श्री बुद्धसेन ने पुनरावलोकन आवेदन के पद 3 में इस प्रकार अंकन कर जानकारी दी है :-

" दिनांक 5-1-07 को आवेदक/पुर्नविलोकनकर्ता की अनुपस्थिति में तथा उसको धोखे में रखते हुये निगरानीकर्तागण एंव अना./गैरपुर्नविलोकनकर्तागण ने आवेदक के अधिवक्ता को मिलाकर तथा षड़यंत्र कर व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 22 नि0 3 एंव म.प्र.भू राजस्व संहिता की धारा 32 केअधीन प्रकरण में राजीनामा किए जाने हेतु एक आवेदन श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जिसमें पुर्नविलोकनकर्ता का न तो हस्ताक्षर है और ना ही उसकी फोटो है किन्तु इसके वावजूद भी मूल राजीनामा आवेदन को देखने यह प्रतीत होता है कि जहां पर राजीनामा किए जाने वाले पक्षकारों की फोटो लगी है उसके उपर बुद्धसेन की फोटो के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की फोटो अना.गण एंव पुर्नविलोकनकर्ता के अधिवक्ता व्दारा लगायी गई थी। "

उक्त पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का अंतरिम आदेश दिनांक 30-9-07 इस प्रकार है :-

" अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मँगाया जावे। तलवाना पटाने पर गैर पुर्नविलोकनकर्ता को नोटिस जारी हो। साथ ही अधिवक्ता श्री अरबिन्द पाण्डेय व उमेश पटैल को भी नोटिस जारी हो कि क्यों न फर्जी तरीके से फोटो प्रमाणित करने के कारण लायसेंस निरस्त करने की अनुसॅशा की जावे। इस न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक 5-1-07 का कियान्वयन आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। "

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के अंतरिम आदेश दिनांक 30-9-07 में लिये गये इस प्रकार के निष्कर्ष से परिलक्षित है कि आवेदक को अपर आयुक्त के समक्ष पक्ष रखने एंव बचाव प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है और जब आवेदक को बचाव प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त है ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने यह निगरानी इसलिये प्रस्तुत की है क्योंकि मामले का त्वरित निराकरण न होने पावे। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 30-9-07 में स्पष्ट विवेचना कर पुनरावलोकन करने का निर्णय लिया है जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 25/06-07 पुनरावलोकन में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-7-07 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर